



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1937 (श10)
(सं0 पटना 1012) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2015

okf.kT; &dj foHkkx

vf/kl ipuk, a
3 fl rEej 2015

एस०ओ० 209, दिनांक 3 सितम्बर 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या-एस०ओ० 51, दिनांक 04 मई, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

I a kks/ku

1. विभागीय अधिसूचना संख्या-एस०ओ० 51 दिनांक 04 मई, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के साथ उपाबद्ध तालिका के क्रम संख्या 3 के पश्चात् निम्नलिखित नयी क्रम संख्या 4 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, यथा :-

"4.	देश के बाहर से आयात किये गये अथवा भारत में निर्मित पोटेबल स्पिरिट, शराब अथवा लिकर	20 प्रतिशत"
-----	---	-------------

2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-20/2013(छाया-II) 4926]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

3 fl rEej 2015

एस०ओ० 210, एस०ओ० 209, दिनांक 3 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं० बिक्री-कर/संशोधन-20/2013(छाया-II) 4927]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 3rd September 2015

S.O. 209 dated 3rd September 2015—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the table appended to Departmental Notification No.-S.O. 51 dated 04th May, 2006 (as amended from time to time), namely-

Amendment

1. After serial number 3 of the Table appended to the Departmental Notification number S.O. 51 dated 04th May, 2006 (as amended from time to time), the following new serial number 4 and its corresponding entries shall be added, namely -

“4.	Potable spirit, wine or liquor whether imported from other countries or manufactured in India	20%”
-----	---	------

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[No. Bikri-Kar/Sansodhan-20/2013(Chaya-II) **4926**]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary.

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1012-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>